

27-4-07
27-4-07

संख्या :

श्रीमती रचना अरोड़ा,
जनरल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट नं-1,
मुरादाबाद ।

27-4-07
28-5-25-11-07
27/2932
52

सेवा में:

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

Request-118

द्वारा :

माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद ।

विषय :

वर्ष 2006-07 में निर्धारित कोटा पूर्ण न कर पाने के संबंध में
भूमि गए स्वष्टीकरण विषयक ।

महोदय,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा मुझे दिनांक
28-02-07 को अपना वार्षिक आख्या भेजी गई जिसमें मेरे द्वारा मानक
कम कार्य निष्पादित करने संबंध में टिप्पणी का गई है । उक्त के सन्दर्भ
में मेरा स्वष्टीकरण निम्नवत् है कि :-

1। माह अप्रैल-06 से माह अगस्त-06 तक मेरे द्वारा सिविल ज
जुजि, मुरादाबाद के न्यायालय में कार्य किया गया ।

2। माह-अप्रैल में उक्त न्यायालय में निर्णय हेतु कोई पत्रावली
नियत नहीं थी ।

3। उक्त न्यायालय में जो पत्रावलियां लम्बित थीं, वे साक्ष्य के
स्तर पर थीं, जिनमें साक्ष्य पूर्ण होने के परचात् ही निर्णय पारित किया
जाना तथा कोटा दे पाना संभव था ।

4। उक्त पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण हेतु मेरे द्वारा विधि
अनुसार अग्रिम कार्यवाही की गई तथा अथक प्रयास कर उक्त पत्रावलियों
बहस के स्तर पर लाया गया ।

5। इसी दौरान माह-जून-06 में सिविल कार्य बन्द रहने के का
पत्रावलियों का निस्तारण/अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी ।

6। माह जुलाई में जिन पत्रावलियों में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी,
मेरे द्वारा उनमें निर्णय पारित किये गए तथा अन्य लम्बित पत्रावलियों में

50 A.M. HIA

27-4-07

CC Adv (11)
Please send it
to Adv (11)
secy
UK/11/107
26/5/07

Received
25/5/07
2506(ef)A

साक्ष्य पूर्ण करने का मेरे द्वारा अथक प्रयास किया गया ।

§ 7 § इसी दौरान 6, अगस्त 2006 को मेरी प्रीनति न्यायालय फो सी 0 जे एम, कोर्ट नं-1, मुरादाबाद में हो गई जो कि रिक्त चल रहा था ।

§ 8 § उक्त न्यायालय रिक्त चलने के कारण वहां लम्बित वादों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शिथिल पड़ी हुई थी जिसमें मेरे द्वारा सम्यक प्रयास कर सुचारु एवं गतिशील बनाया गया । जबकि माह-सितम्बर-06 में नगर निगम चुनाव के कारण प्रोसेस तामीला पर काफी प्रभाव पड़ा

§ 9 § मेरे द्वारा न्यायालय में लम्बित वादों के क्रियान्वयन को प्रभावी किया गया तथा कई पत्रावलियों में निर्णय पारित किये गए ।

§ 10 § इसी दौरान मेरे "फेमिली वे" में होने के कारण स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के कारण मुझे अचानक मातृत्व अवकाश ग्रहण करना पड़ा । मेरे फेमिली वे में होने के कारण स्वास्थ्य खराब रहने के उपरांत भी मेरे द्वारा कार्य पूर्ण करने का अथक प्रयास किया गया ।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियां विशिष्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप कोटा पूरा करना संभव नहीं हो पाया है । माननीय महोदय उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें । भविष्य में मानकों के अनुरूप निर्धारित कोटा पूर्ण किया जाएगा ।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि माननीय उच्च न्याया के संज्ञान में उक्त तथ्य लाकर मेरा सष्टीकरण स्वीकार करते हुए मेरी गौणनाय आख्या वर्ष 2006-07 निरस्त करने की कृपा करें ।

सष्टीकरण माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है

दि० : 17.04.2007

मुरादाबा जजी, मुरादाबाद ।

भवदीय

श्रीमती रचना अरोड़ा

सं० 394/2007 § प्रशा० § दि०: 20.4.07

अपर मुख्य न्यायिक मजि, कोर्ट नं-1, मुरादाबाद।

सेवा में, महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रासारित ।

जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद ।

19.4.07